पत्रांक–2/न०वि०/श्रावणी मेला - 112/2016–32

झारखण्ड सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

आवंटनादेश
(श्रावणी मेला)

प्रेषक,

सुनील कुमार,
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
देवघर नगर निगम/बासुकीनाथ नगर पंचायत।

राँची, दिनांक–09/07/26

विषयः– श्रावणी मेला, 2026 के सफल आयोजन हेतु वित्तीय वर्ष 2026–27 में स्थापना व्यय अंतर्गत ''जल पूर्ति तथा सफाई'' मद में उपबंधित राशि से देवघर नगर निगम को रु० 03.00 करोड़ एवं बासुकीनाथ नगर पंचायत को रु० 01.00 करोड़ अर्थात् कुल राशि रु० 04.00 करोड़ (चार करोड़ रुपये) मात्र के आवंटन के संबंध में।

महाशय,

विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–36, दिनांक–01.07.2026 द्वारा श्रावणी मेला, 2026 के सफल आयोजन हेतु वित्तीय वर्ष 2026–27 में स्थापना व्यय अंतर्गत ''जल पूर्ति तथा सफाई'' मद में उपबंधित राशि से देवघर नगर निगम को कुल रु० 03.00 (तीन करोड़ रुपये) एवं बासुकीनाथ नगर पंचायत को रु० 01.00 (एक करोड़ रुपये) अर्थात् कुल राशि रु० 04.00 करोड़ (चार करोड़ रुपये) मात्र की स्वीकृति प्रदान की गई है।

2. उक्त प्रयोजन हेतु नगर आयुक्त, देवघर नगर निगम के पत्रांक–707, दिनांक–07.05.2026 एवं कार्यपालक पदाधिकारी, बासुकीनाथ नगर पंचायत के पत्रांक–284, दिनांक–24.04.2026 से प्राप्त अधियाचना के आलोक में श्रावणी मेला, 2026 के सफल आयोजन हेतु वित्तीय वर्ष 2026–27 में स्थापना व्यय अंतर्गत ''जल पूर्ति तथा सफाई'' मद में उपबंधित राशि से देवघर नगर निगम को कुल रु० 03.00 (तीन करोड़ रुपये) एवं बासुकीनाथ नगर पंचायत को रु० 01.00 (एक करोड़ रुपये) अर्थात् कुल राशि रु० 04.00 करोड़ (चार करोड़ रुपये) मात्र निम्नवत आवंटित की जाती है–

क्र.	बजट शीर्ष	निकाय का नाम	आवंटित राशि	कोषागार/उप कोषागार	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी
i	ii	iii	iv	v	vi
1	मुख्य शीर्ष–2215–जल पूर्ति तथा सफाई– उप मुख्य शीर्ष–02–मल–जल तथा सफाई–लघु शीर्ष–191–नगर निगम को सहायता–उप शीर्ष–08–पानी तथा मल–जल सफाई के लिए नगर निगमों को सहायक अनुदान– विस्तृत शीर्ष–06–अनुदान–79–सहायता अनुदान सामान्य (गैर– वेतन)– विपत्र कोड–48S22150219108000679	देवघर नगर निगम	30000000	देवघर	नगर आयुक्त/ उप नगर आयुक्त/ सहायक नगर आयुक्त
2	मुख्य शीर्ष–2215–जल पूर्ति तथा सफाई–उप मुख्य शीर्ष–02–मल–जल तथा सफाई–लघु शीर्ष–193–नगर पंचायत/ अधिसूचित क्षेत्र समितियों या उसके समतुल्य निकायों को सहायता–उप शीर्ष–05–पानी तथा मल– जल सफाई के लिए नगर पंचायतों एवं अ०क्षे०स० को सहाय्य अनुदान–विस्तृत शीर्ष–06–अनुदान–79–सहायता अनुदान सामान्य (गैर–वेतन) विपत्र कोड– 48S22150219305000679	बासुकीनाथ नगर पंचायत	10000000	दुमका	कार्यपालक पदाधिकारी
		कुल राशि–	40000000		

3. स्वीकृत राशि का व्यय नगर आयुक्त, देवघर नगर निगम के पत्रांक–707, दिनांक–07.05.2026 एवं कार्यपालक पदाधिकारी, बासुकीनाथ नगर पंचायत के पत्रांक–284, दिनांक–24.04.2026 द्वारा प्राप्त अधियाचना में उल्लिखित घटकों में किया जाएगा।

4. स्वीकृत अनुदान की राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कंडिका–2 में उद्धृत तालिका के स्तंभ–vi में उल्लेखित पदाधिकारी होंगे, जिनके द्वारा राशि की निकासी तालिका के स्तंभ–v में उल्लेखित संबंधित कोषागार से वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2026–27 के अंतर्गत अनिवार्य रूप से की जाएगी। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी राशि आवंटन के 15 दिनों के अंदर राशि की निकासी सुनिश्चित करते हुए विभाग को सूचित करेंगे।

Arun/ Nirmal Sir_ S.O. Shrawani Mela (2026-27) /(3)

(293)

5. विगत वित्तीय वर्ष के पूर्व के वित्तीय वर्ष में निकासी की गयी राशि की उपयोगिता संबंधी विवरणी निम्नवत् हैः–

क्र०	निगम का नाम	स्वी० संख्या एवं तिथि	निकासी की गई राशि	प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र की राशि
1	देवघर नगर निगम	33/31.05.24	3,00,00,000	30,000,000
		41/10.06.24	48,80,946	4,880,946
2	बासुकीनाथ नगर पंचायत	34/31.05.24	1,00,00,000	1,00,00,000
		43/10.06.24	11,76,503	11,76,503

6. वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प संख्या–759/वि० दि०–20.03.2015 की कंडिका–5 (iii) के आलोक में स्वीकृत सहायता अनुदान की राशि के विपत्र पर सक्षम प्राधिकार या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी से प्रतिहस्ताक्षर के पश्चात् झारखण्ड कोषागार अधिनियम, 2016 के तहत् निर्धारित विपत्र में प्रस्तुत किया जायेगा।

7. स्वीकृत अनुदान राशि की निकासी/व्यय वित्त विभागीय परिपत्र सं०–2561/वि०, दि०–17.04.98 एवं समय–समय पर निर्गत परिपत्र/अनुदेश के आलोक में नियम–संगत तरीके से की जायेगी तथा इस राशि से राज्य गठन के पूर्व का बकाया भुगतान नहीं किया जायेगा।

8. संबंधित शहरी स्थानीय निकाय के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, आवंटित राशि के व्यय के पश्चात् व्यय राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र विहित प्रपत्र में टी०भी०नं० एवं तिथि के साथ सक्षम स्तर से प्रतिहस्ताक्षरित कराकर महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को सीधे भेजते हुए उसकी एक प्रति विभाग को उपलब्ध करायेंगे।

9. संबंधित शहरी स्थानीय निकाय के नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 के बजट संबंधित धाराओं का अनुपालन करते हुए राशि का आहरण करेंगें। साथ ही, निकाय के लेखा में राशि को सम्मिलित करने के पश्चात निर्धारित नियमों एवं विनियमों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करते हुए व्यय करेंगे।

10. भारतीय अंकेक्षण एवं लेखा विभाग तथा अंकेक्षण निदेशालय, वित्त विभाग, झारखण्ड को इससे संबंधित पुस्तकों/पंजियों को देखने, जांच–पड़ताल एवं अंकेक्षण करने का पूर्ण अधिकार होगा।

11. वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प संख्या–759/वि० दिनांक–20.03.2015 (कंडिका–5) के आलोक में स्वीकृत राशि की निकासी हेतु प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

अतः संबंधित कोषागार पदाधिकारी वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प संख्या–759/वि० दिनांक–20.03.2015 के आलोक में स्वीकृत राशि की निकासी सुनिश्चित करेंगे।

विश्वासभाजन

(सुनील कुमार)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–2/न०वि०/श्रावणी मेला - 112/2016-32 राँची, दिनांक–09/07/26

प्रतिलिपि–माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग/प्रमंडलीय आयुक्त, संथाल परगना/उपायुक्त, देवघर एवं दुमका/निदेशक, अंकेक्षण निदेशालय, झारखण्ड, राँची/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची/नगर आयुक्त/उप नगर आयुक्त/सहायक नगर आयुक्त, देवघर नगर निगम/कार्यपालक पदाधिकारी, बासुकीनाथ नगर पंचायत/कोषागार पदाधिकारी, देवघर एवं दुमका कोषागार/उप सचिव, बजट शाखा, नगर विकास एवं आवास विभाग/ऑनलाईन आवंटन हेतु श्री निर्मल कुमार, प्रशाखा पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग/श्री कुणाल, सिटी मिशन मैनेजर, राज्य शहरी विकास अभिकरण, नगर विकास एवं आवास विभाग को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव।